



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

Credible Chhattisgarh

विश्वसनीय छत्तीसगढ़

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक...१६...../2016

दिनांक 26 / 11 /2016

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने में विलंबित अवधि ब्याज में छूट की समयावधि बढ़ाने बाबत।

—000—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 51वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.09.2016 की पद संख्या क्रमांक 06 के पारित संकल्प क्रमांक 1425-06/51/09/2016 द्वारा मुख्यालय के आदेश क्रमांक 48/2016, दिनांक 13.05.2016 तथा क्रमांक 61/2016, दिनांक 10.08.2016 द्वारा स्ववित्तीय योजना की देय संपूर्ण राशि जमा करने पर आबंटियों को विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने तथा 15 जून के पश्चात तिथि पर कोई राशि देय हो तो उस राशि के भुगतान पर भारत विलंब अवधि के ब्याज में कोई छूट नहीं दी जाने के संबंध में दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक के लिए आदेश जारी किए गए की कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्तमान में मण्डल के प्रक्षेत्र कार्यालयों के संपदा अधिकारियों तथा हितग्राहियों द्वारा छूट की समयावधि को बढ़ाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। स्ववित्तीय योजनांतर्गत बकायादारों द्वारा वित्तीय व्यवस्था करने में समय लग रहा है तथा अनेक हितग्राहियों द्वारा अभी भी राशि जमा करने हेतु रुचि ली जा रही है।

अतः आगामी मण्डल की बैठक की अनुमोदन की प्रत्याशा में स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को दिनांक 15 जून 2016 तक की बकाया संपूर्ण राशि जमा करने पर विलंबित अवधि ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की समयावधि दिनांक 31.12.2016 तक प्रभावशील रहेगी।

समस्त संभाग/प्रक्षेत्र कार्यालय बकायादारों को सूचना पत्र जारी कर तथा शिविर आयोजित कर वसूली कि सक्षम कार्यवाही उक्त अवधि में करें तथा दैनिक प्रगति से मुख्यालय को अवगत करावे।

(आदेशानुसार)


मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन नया रायपुर

क्रमशः-02

पृ.क्र. 2667/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.-183/16 रायपुर, दिनांक 26 / 11 / 2016
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
2. निज सचिव आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
4. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/वृत्त-नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
9. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय शंकर नगर रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/ राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा /रायगढ़/ धमतरी/ कवर्धा/ महासमुन्द /जगदलपुर/ कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग 01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
12. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03,04,05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा /बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
14. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।



मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर